



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244905
CG-DL-E-03042023-244905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1498]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1554(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1097(अ), तारीख 04 अगस्त 2005 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 1A (नया NH-44) के नगरोटा बाईपास (लंबाई 14.40 किमी) और उधमपुर बाईपास (लंबाई 18.70 किमी) और किमी 286.00 से किमी 303.80 (श्रीनगर बाईपास) सहित 0.00 किमी से 9.20 किमी (जम्मू बाईपास) और किमी 9.20 से किमी 286.00 तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर संशोधन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) और अधिसूचना सं. 3638 (ई) दिनांक 2 दिसंबर, 2016 के अधिक्रमण में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया एनएच-44) के 67.000 किमी से 151.000 किमी तक उधमपुर-रामबन खंड के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 34.931 किमी (चार अथवा अधिक लेन सेक्शन हेतु) और 43.010 किमी (जिनकी संरचना लंबाई 4.301 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर से तथा और 89.790 किमी (8.979 किमी की लंबाई वाले) के समकक्ष दो लेन संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई) के लिए

आधार दर के 60% पर और बाईपास जिनकी लंबाई 1.413 किमी तथा लागत 10 करोड़ रु या अधिक है, के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुना की दर से नीचे सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्धृत करती है और एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से रियायत अवधि की समाप्ति की तिथि से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनज)	लम्बाई जिसके लिए (किलोमीटर में) शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चैनानी तहसील के माडा गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 90.176 पर।	34.931 [जैसे कि नीचे पैरा 2 एवं 3 में उल्लिखित है 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं और 10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 99.800 पर।		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है

	की लम्बाई (कि.मी. में)		
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 90.176 पर।	8.979 [^]	89.790	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 99.800 पर।			
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 90.176 पर।	4.301 ^{^^}	43.01	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 99.800 पर।			

*दोनों शुल्क प्लाजाओं पर लागू प्रयोक्ता शुल्क परियोजना की समान लंबाई के लिए होगा, श्रीनगर जाने वाले यातायात के लिए प्रयोक्ता शुल्क 90.176 किलोमीटर पर शुल्क प्लाजा पर देय होगा, जबकि जम्मू की ओर जाने वाले यातायात के लिए शुल्क किमी 99.800 पर शुल्क प्लाजा पर देय होगा।

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई की दो लेन संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

संरचना का प्रकार	चैनेज(किमी में)		लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक	
दो लेन सुरंग	90.482	99.461	8.979
कुल			8.979

^{^^}60 मीटर से अधिक लंबाई की चार लेन संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

संरचना का प्रकार	चैनेज नॉर्थ बाउंड		नॉर्थ बाउंड की लंबाई (मीटर में)	चैनेज साउथ बाउंड		साउथ बाउंड की लंबाई (मीटर में)
	किमी से	किमी तक		किमी से	किमी तक	
एमजेबी-03,04	67.909	68.005	96.00	67.90275	68.01525	112.50
एमजेबी -05	-	-	-	68.896	69.016	120.00
एमजेबी -09,10	69.1315	69.2605	129.00	69.132	69.288	156.00
एमजेबी -06	-	-	-	144.347	144.465	118.00
एमजेबी-07,08 (रामबन बाईपास)	147.135	148.215	1080.00	149.135	150.215	1080.00
सुरंग-01, 02	136.376	137.264	888.00	136.506	137.300	794.00
कट एंड कवर कनोपी संरचना	147.575	147.725	150.00	149.575	149.725	150.00
वायाडक्ट-01	130.610	130.740	130.05	130.570	130.740	170.05
वायाडक्ट -02	131.258	131.658	400.05	131.238	131.678	440.05

वायाडक्ट -03	132.600	133.110	510.05	132.600	133.100	500.05
वायाडक्ट -04	-	-	-	133.650	133.720	70.05
सुरंग /बॉक्स संरचना	145.885	146.592	707.00	147.880	148.680	800.00
कुल			4090.15			4510.70
संरचनाओं की औसत लंबाई						4300.43 मी

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. मे)	लागत (करोड़ रुपए में)	
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 90.176 पर।	चंद्रकोट बाईपास	138.800	140.213	1.413	32.06	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
*जम्मू-कश्मीर के रामवन जिले में नाशरी गांव के निकट एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किमी 99.800 पर।						

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रुपए (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी -5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 7116.44 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू -रामबन/11001/ ऊधमपुर-रामबन/मिसलेनिअस्/ ई -218627]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1554(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097 (E) dated the 04th August 2005 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.00 to Km 9.20 (Jammu Bypass) and from Km 9.20 to km 286.00 of Jammu Srinagar Section including Nagrota Bypass (length 14.40 km) and Udhampur Bypass (Length 18.70 km) and from Km 286.00 to Km 303.80 (Srinagar Bypass) of erstwhile National Highway No. 1A (New NH-44) in the State of Jammu and Kashmir to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of notification no S.O. 3638 (E) dated 2nd December, 2016, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 below for net road section length of 34.931 km (for the use of four or more lane section) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 43.010 km (having length of 4.301 km) and at sixty percent of the base rate for equivalent two lane structure length (having length more than 60 m) of 89.790 Km (having length of 8.979 km) and 1.413 km length of bypass costing rupees ten crores or more at one & half times of base rate on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Udhampur-Ramban section from Km 67.000 to

Km 151.000 of National Highway number 1A (New NH-44) in the UT of Jammu & Kashmir and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable for the use of four lane section at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
*At Design Km 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district of J&K.	34.931 [Excluding length of structures (>60m) and bypass (costing > Rs 10 crores) as mentioned at para 2 and 3 below]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Km 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
*At Design Km 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada in Udhampur district of J&K.	8.979 [^]	89.790	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Km 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.			
*At Design Km 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada in Udhampur district of J&K.	4.301 ^{^^}	43.01	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Km 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.			

*The applicable user fee at both the fee plazas shall be for the same length of the project, the user fee for Srinagar bound traffic shall be payable at Fee Plaza at Km 90.176, whereas, for Jammu bound traffic, the fee shall be payable at Fee Plaza at Km 99.800.

^Details of two-lane structure having length more than 60m is as under:

Type of structure	Chainage (Km)		Length (Km)
	From	To	
Two lane Tunnel	90.482	99.461	8.979
Total			8.979

^^ Details of four-lane structure having length more than 60m is as under:

Type of structure	Chainage North Bound		Length of North bound (in m)	Chainage South Bound		Length of South bound (in m)
	From	to		From	To	
MJB-03,04	67.909	68.005	96.00	67.90275	68.01525	112.50
MJB-05	-	-	-	68.896	69.016	120.00
MJB-09,10	69.1315	69.2605	129.00	69.132	69.288	156.00
MJB-06	-	-	-	144.347	144.465	118.00
MJB-07,08 (Ramban Bypass)	147.135	148.215	1080.00	149.135	150.215	1080.00
Tunnel-01, 02	136.376	137.264	888.00	136.506	137.300	794.00
Cut and Cover canopy structure	147.575	147.725	150.00	149.575	149.725	150.00
Viaduct-01	130.610	130.740	130.05	130.570	130.740	170.05
Viaduct-02	131.258	131.658	400.05	131.238	131.678	440.05
Viaduct-03	132.600	133.110	510.05	132.600	133.100	500.05
Viaduct-04	-	-	-	133.650	133.720	70.05
Tunnel/ Box structure	145.885	146.592	707.00	147.880	148.680	800.00
Total			4090.15			4510.70
Average length of structures						4300.43 m

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of bypass costing Rs 10 crores or more at the following Fee Plaza (s) for net bypass length specified for such fee plaza (s):

Table-4						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
*At Design Km 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district of J&K.	Chanderkot Bypass	138.800	140.213	Length (in Km)	Cost (Rs in crores)	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Km 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.				1.413	32.06	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 315.00 (three hundred fifteen rupees only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 7116.44 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/11001/Udhampur-Ramban/Miscellaneous/E-218627]
SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.